बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

110

-:: तार्किक आदेश ::-

आ0सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-कोर्ट केश-03/2024 /पटना, दिनांक- 08/05/24

याचिकाकर्त्ता श्री नवल किशोर, अनिवार्य सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-10350/2023 नवल किशोर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना में निम्नलिखित राहत(Relief) पाने हेतु दायर किया गया-

For grant retiral benefit(full pension) as well as admitted dues which is due after placing relevant voucher before the Minor Irrigation Division, Begusari and further to pay the illegal recovery done by the Minor Water Resources Department, Patna and also to pay all admitted dues which is pending since when petitioner is entitled for such date along with interest.

2. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-10350/2023 नवल किशोर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-11.09.2023 को पारित न्यायादेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः-

"14. The petitioner, if so adviced, may file his representation before the Special Secretary, Minor Water Resources Department, Government of Bihar, Patna. The Special Secretary, Minor Water Resources Department, Government of Bihar, Patna is directed to dispose of the representation, if any, filed on behalf of the petitioner, in accordance with law, within a period of six weeks from the date of filing of the representation."

3. याचिकाकर्त्ता श्री किशोर द्वारा उक्त न्यायादेश के आलोक में अभ्यावेदन दिनांक-16.10.2023 के माध्यम से निम्नांकित लंबित सेवान्त लाभ एवं बकाये राशि के भुगतान हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया ।

| Sl. No. | Head | Amount |
|---|---|---|
| 1. | Advance pay arrear. | 20,250.00(Difference Amount) |
| 2. | Recovered amount salary. | 7,22,000.00 and odd amount |
| 3. | Release of pension and gratuity | 10 % |
| 4. | Release of pension and gratuity | 05 % |
| 5. | Expenses in a form of vechicle, petrol and diesel. | 1,43,189.00(laying in Minor Irrigation Division, Begusarai) |
| 6. | Expenses of E- tendering under Jal Jeevan Hariyali Yojana. | 1,08,00.00(laying in Minor Irrigation Division, Begusarai voucher is already submitted) |
| 7. | Expenses in a form of vechicle, petrol and diesel. | 68,371.00(laying in Minor Irrigation Division, Khagaria voucher is already submitted) |

कृ0पृ0उ0

4. याचिकाकर्त्ता श्री नवल किशोर, अनिवार्य सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय के सेवान्त लाभ की स्वीकृति के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् हैः-

(i) श्री नवल किशोर, अनिवार्य सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त दिनांक-09.03.2021 को अनिवार्य सेवानिवृत्त हुए हैं ।

(ii) विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1131 दिनांक-09.03.2021 द्वारा श्री नवल किशोर, कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय को बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के तहत संकल्प निर्गत की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है ।

(iii) श्री किशोर को विभागीय पत्रांक-2540 दिनांक-26.05.2022 द्वारा इनके विरूद्ध प्रक्रियाधीन आरोपों के कारण इन्हें 90 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन एवं 90 प्रतिशत औपबंधिक उपादान की स्वीकृति प्रदान की गई ।

(iv) श्री किशोर को विभागीय पत्रांक-2539 दिनांक-26.05.2022 द्वारा इनके सेवानिवृत्ति की तिथि-09.03.2021 को 300(तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय के स्तर से प्राप्त विभागीय सामान/राशि से संबंधित बकाया रहित प्रमाण-पत्र में "इनके वेतन मद में अधिक भुगतान की गई राशि 3,17,251/-(तीन लाख सतरह हजार दो सौ इक्वावन रूपये)मात्र की वसूली किया जाना है," का उल्लेख रहने के कारण उक्त वसूलनीय राशि की वसूली श्री किशोर को अनुमान्य अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि में से करने का आदेश दिया गया ।

5. श्री नवल किशोर, अनिवार्य सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय के विरूद्ध निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन के अनुसार इनके सेवान्त लाभ के अंतिम रूप से स्वीकृति पर निम्नांकित दण्ड एवं प्रक्रियाधीन मामले का कुप्रभाव है-

(i) विभागीय अधिसूचना सं0-2246 दिनांक-05.04.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी0) के तहत श्री किशोर के विरूद्ध "पेंशन से 05 प्रतिशत की कटौती 05 वर्षों के लिए" की शास्ति अधिरोपित ।

(ii) श्री नवल किशोर, तत्कालीन कार्यपालक अभियनता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त के विरूद्ध लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय के पदस्थापन अवधि में उक्त प्रमण्डल अंतर्गत साहेबपुर कमाल प्रखण्ड के सादपुर पूर्वी पंचायत अवस्थित मोईन योजना में बरती गयी अनियमितता के लिए उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त नियमानुसार आरोप-पत्र गठित किया गया है, जिसे विभागीय पत्रांक-6360 दिनांक-19.10.2023 द्वारा श्री किशोर को प्रेषित करते हुए उनसे बचाव का लिखित अभिकथन का मांग किया गया है" ।

6. सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मी के सेवान्त लाभ यथा-पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति के संबंध में निम्नांकित प्रावधान हैं-

कृ0पृ0उ0

(i) बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ग) के अनुसार *"जहाँ सरकारी सेवक की सेवा अवधि में प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही या एसी न्यायिक कार्यवाही, जिसमें उक्त सेवक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत हो, सेवानिवृति तक अंतिम रूप से निष्पादित नहीं हुई हो, वहाँ औपबंधिक की राशि नियमतः अनुमान्य पेंशन की अधिकतम राशि से कम होगी पर किसी भी स्थिति में 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।"*

(ii) बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 के *स्पष्टीकरण की कंडिका-'क' में वर्णित है कि "विभागीय कार्यवाही उस समय चलायी गयी समझी जायेगी जब पेंशनभोगी सेवक के विरूद्ध आरोपों की प्रति उसे निर्गत कर दी गयी हो या उसे पूर्व की तिथि से उस तिथि को निलंबित कर दिया गया हो" ।*

(iii) वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक-77 दिनांक- 21.01.2019 द्वारा निर्गत बिहार पेंशन(संशोधन)नियमावली,2018 की कंडिका-3 के अनुसार *"(घ) यदि सेवानिवृति की तिथि को सरकारी सेवक के विरूद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित हो, उपदान की पूर्ण राशि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष एवं तदनुसार आदेश निर्गत होने तक रोक रखी जा सकेगीः*

*परन्तु जहाँ बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(i) (ii) एवं* (iv) *में वर्णित लघु दंड अधिरोपित करने हेतु नियम-19 के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है, वहाँ सरकारी सेवक को उपदान का भुगतान किया जा सकेगा।"* ।

7. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-10350/2023 में दिनांक-11.09.2023 को पारित न्यायादेश के क्रम में याचिकाकर्त्ता श्री किशोर द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक-16.10.2023 के माध्यम से लंबित सेवान्त लाभ एवं बकाये राशि के भुगतान हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक-6540 दिनांक-03.11.2023, 6857 दिनांक-24.11.2023 एवं 179 दिनांक-10.01.2024 द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय एवं खगड़िया को स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिये जाने पर कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खगड़िया एवं बेगूसराय के पत्रांक क्रमशः 1024 दिनांक-14.11.2023 एवं 283 दिनांक-16.02.2024 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । विभागीय पत्रांक-1636 दिनांक-04.04.2024 द्वारा याचिकाकर्त्ता श्री किशोर को सरकारी/भाड़े का वाहन एवं ईंधन के बकाया राशि के भुगतान हेतु जाँचकर संबंधित विषय शीर्ष में विभाग से आवंटन मांगने का निदेश दिया गया । जिसके क्रम में कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खगड़िया एवं बेगूसराय के पत्रांक क्रमशः 394 दिनांक-08.04.2024 एवं 582 दिनांक-10.04.2024 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध/आवंटन की मांग की गयी । पुनः विभागीय पत्रांक-1917 दिनांक-25.04.2024 द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय से श्री किशोर को भाड़े की गाड़ी का नियमानुसार भुगतान करते हुए इसकी सूचना एवं श्री किशोर को प्राप्त अधिकाई वेतन के संबंध में साक्ष्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी । साथ ही पत्रांक-1916 दिनांक-25.04.2024 द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खगड़िया से श्री किशोर के वाहन के ईंधन की बकाया राशि से संबंधित प्रमाणक की उपलब्धता/अनुपलब्धता के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी ।

कृ0पृ0उ0

8. कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खगड़िया एवं बेगूसराय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार याचिकाकर्त्ता श्री किशोर द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक-16.10. 2023 में अंकित बकाये राशि के भुगतान के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नरूपेण है-

(i) उपर्युक्त कंडिका-3 के क्र0सं0-1 में अंकित बकाये राशि ₹20,250/- के भुगतान के संबंध में कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त राशि का भुगतान श्री किशोर को कर दिया गया है ।

(ii) क्र0सं0-2 में अंकित वेतन से वसूल की गई राशि के संबंध में कार्यपालक अभियन्ता, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्त(वे0दा0नि0को0)विभाग से निर्गत वेतनपूर्जा सं0-2017081121AP15719 जिसमें मूल वेतन-1,02,500/- था, के आधार पर श्री किशोर द्वारा माह-अप्रैल,2017 से फरवरी,2020 तक ₹7,22,652/-(सात लाख बाईस हजार छः सौ बावन रूपये) मात्र अधिकाई वेतन प्राप्त की गयी । पुनः वित्त(वे0दा0नि0को0)विभाग से निर्गत वेतनपूर्जा सं0-19032021027901 में दिनांक-01.09.2007 से 01.07.2019 तक अंकित मूल वेतन एवं अन्य भत्तें के आधार पर श्री किशोर द्वारा पूर्व में प्राप्त की गई अधिकाई वेतन की राशि ₹7,22,652/-(सात लाख बाईस हजार छः सौ बावन रूपये) मात्र की वसूली निम्नानुसार की गयी-

(क) माह-अक्टूबर,2020 से दिनांक-09.03.2021 तक प्रतिमाह ₹50,000/- की दर से कुल वसूली- ₹2,64,508/-

(ख) माह-सितम्बर,2007 से जून,2017 तक एवं अगस्त,2017 का बकाया वेतन जो श्री किशोर को भुगतान किया जाना था, से वसूली- ₹1,40,893/-

(ग) अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि से वसूल की गई राशि - ₹3,17,251/-

(iii) क्र0सं0-5 में अंकित भाड़े का वाहन एवं ईंधन पर व्यय की गई राशि के भुगतान के संबंध में कार्यपालक अभियन्ता, बेगूसराय द्वारा आवंटन की मांग किये जाने पर विभागीय आवंटनादेश सं0-04 दिनांक-24.04.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष-2024-25 में विषय शीर्ष-13.10-भाड़े की गाड़ी का भुगतान इकाई मद में ₹1,43,189/-(एक लाख तैतालीस हजार एक सौ नवासी रूपये) मात्र का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है । उक्त आवंटन के आलोक में कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय द्वारा श्री किशोर से प्राप्त अभिश्रव के विरूद्ध ₹69,681/-(उनहत्तर हजार छः सौ एकासी रूपये) मात्र का भुगतान CFMS के माध्यम से कर दिया गया है जिसका यू0टी0आर0 नं0-RBI1202431232780 है ।

शेष राशि के भुगतान हेतु कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय के पत्रांक-620 दिनांक-27.4.2024 द्वारा श्री किशोर से अभिश्रव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । श्री किशोर द्वारा अभिश्रव उपलब्ध कराये जाने पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी ।

कृ0पृ0उ0

(iv) क्र0सं0-6 में अंकित ''जल-जीवन-हरियाली'' अभियान के तहत ई-टेन्डर में व्यय की गई राशि के संबंध में कार्यपालक अभियन्ता, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि यह मामला ''जल-जीवन-हरियाली'' अभियान से संबंधित है । इसके तहत तत्कालीन विभागीय प्रधान सचिव की देख-रेख में 'जल-भवन', पटना में निविदा से संबंधित सभी तरह की व्यवस्था एवं निविदा कार्य में संलग्न पदाधिकारी/कर्मी के रहने एवं भोजन की सारी व्यवस्था जल-भवन में की गई थी । ऐसी स्थिति में श्री किशोर को उक्त निविदा कार्य निमित्त राशि ₹10,800/- का भुगतान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(v) क्र0सं0-7 में अंकित वाहन एवं ईंधन पर व्यय की गई राशि के संबंध में कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खगड़िया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ''श्री किशोर, अनिवार्य सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय (अतिरिक्त प्रभार-खगड़िया) का वाहन के ईंधन के बकाये राशि के भुगतान से संबंधित प्रमाणक उपलब्ध नहीं है एवं इनके द्वारा संबंधित प्रमाणक प्रमण्डलीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने से संबंधित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है ।

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खगड़िया के पत्रांक-434 दिनांक-25.04.2024 द्वारा कार्यालय में जमा की गई वाहन के ईंधन का प्रमाणक संबंधित(प्राप्ति रसीद) साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु श्री किशोर से अनुरोध किया गया है । उनके द्वारा प्रमाणक अथवा समर्पित प्रमाणक की प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप ही भुगतान की प्रक्रिया करना संभव हो पायेगा ।''

9. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-10350/2023 में दिनांक-11.09.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री किशोर द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त इनके लंबित सेवान्त लाभ के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(i) याचिकाकर्त्ता श्री किशोर के विरूद्ध वर्तमान में एक मामले में आरोप-पत्र गठित एवं निर्गत है । चूंकि याचिकाकर्त्ता पेंशनभोगी सेवक है अतः ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गई समझी जायेगी और उन्हें बिहार पेंशन नियमावली,1950 के नियम-43(ग) एवं (घ) में वर्णित प्रावधान के आलोक में उक्त प्रक्रियाधीन मामले के अंतिम रूप से निष्पादित होने के पश्चात् ही शेष 10 प्रतिशत पेंशन एवं 10 प्रतिशत उपादान की राशि को विमुक्त किया जायेगा ।

(ii) विभागीय अधिसूचना सं0-2246 दिनांक-05.04.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी0) के तहत श्री किशोर के विरूद्ध ***''पेंशन से 05 प्रतिशत की कटौती 05 वर्षों के लिए''*** की शास्ति अधिरोपित है । इस स्थिति में श्री किशोर द्वारा 05 प्रतिशत पेंशन को विमुक्त करने हेतु किया गया अनुरोध विचारणीय नहीं हैं ।

ह0/-
**(मो0 तारिक इकबाल)**
**सरकार के विशेष सचिव**
**लघु जल संसाधन विभाग ।**

कृ0पृ0उ0

d:\official document 15.07.22\suman ji file\official letter folder\office order new format.docx

(1)



ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-**स्पीड-पोस्ट-** श्री नवल किशोर, अनिवार्य सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय, **पत्राचार का पता**-फ्लैट नं0-404, ब्लॉक-A, सेजना शाश्वतम् अपार्टमेन्ट, आरा गार्डेन रोड, जगदेव पथ, पटना-800014, मोबाईल नं0-9304205062 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

**सरकार के विशेष सचिव ।**

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- प्रधान महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/सरकारी अधिवक्ता सं0-16(जी0पी0-16), पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

**सरकार के विशेष सचिव ।**

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

ई–मेल

प्रतिलिपिः- मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खगड़िया एवं बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

**सरकार के विशेष सचिव ।**

ज्ञापांक- 2129 /पटना, दिनांक- 08/05/24

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**सरकार के विशेष सचिव ।**